फैक्स/प्राथमिकता/कोर्टकेस

संख्या- 591 रिट/छः-पु-3-2019-2(344)पी/2019

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 अगस्त, 2019

विषयः-सिविल मिस रिट पिटीशन (रिट-सी) संख्या-24328/2019 सुमन अहिरवार व अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-08-2019 में उल्लिखित शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, 2018 (सात)एससीसी-192 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या-24328/2019 सुमन अहिरवार व अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 21-08-2019 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैः-

On 19.08.2019, the Secretary (Home), State of U.P. had filed an affidavit stating that Govt. Orders had been issued on various dates i.e. 07.08.2003, 07.07.2010, 30.01.2011, 07.08.2013 and 16.08.2019 in compliance of the various decisions of the Supreme Court. From the flood of litigation, which is reaching this Court whereby young couples are coming for protection, it does not appear that any help has been rendered to them at the District level.

The affidavit does not disclose if any independent Toll Free Number has been provided for helping such couples. The affidavit also does not disclose as to how the directions of the judgement reported in 2018(7)SCC 192, Shakti Vahini vs. Union of India (UOI) and others has been followed.

Today, learned Standing Counsel has handed over a

cc

communication which indicates that on 24.05.2018 an effort was made to comply with the judgement and order of the Supreme Court passed in Shakti Vahini's case. However, if the order was issued on 24.5.2018 then it does not stand to reason that why remedial steps had not been taken till today.

Put up this case on 04.09.2019 as unlisted. On that date, the learned Standing Counsel may file an affidavit bringing on record the various steps which might have been taken by the State. He may bring on record in particular the steps which the State has taken in the Districts of Allahabad and Fatehpur. In the next two weeks in these two Districts steps may be taken which the State proposes to take for all the Districts of Uttar Pradesh.

The Secretary (Home), State of U.P. shall, through a responsible officer, send a daily report of the developments which would take in these two Districts to the Registrar General, Allahabad High Court, Allahabad.

2- यह उल्लेखनीय है कि कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपने संख्या-डीजी-सात-एस-14(3)/2018, दिनांक 24.05.2018 द्वारा समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक जोन/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक (प्रभारी जनपद) उ0प्र0 को निर्देश दिये गये है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका (सिविल) संख्या-231/2010 शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ व अन्य में ऑनर किलिंग के संबंध में पारित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायें और अनुपालन आख्या से मुख्यालय को 15 दिवस के अन्दर अवगत करायें।

3- मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के उपर्युक्त पत्र दिनांक 24.05.20178 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका(सिविल) संख्या-231/2010 शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ व अन्य में पारित निर्णय के अनुपालन में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनें का कष्ट करें:-

<u>1- निरोधात्मक चरण-</u>

(ए) उन जिलों, तहसीलों और गावों को चिन्हित किया जाय, जिनमें पिछले पॉच वर्षों में आंनर किलिंग की घटना या खाप पंचायतें सम्पन्न हुई है। इसकी सूचना पुलिस महानिदेशक कार्यालय को एक सप्ताह के अन्दर प्रत्येक जनपद से प्राप्त करा दी जाय।

cc

(बी) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्तानुसार चिन्हित क्षेत्रों के थाना प्रभारी अतिरिक्त सतर्कता बरती जाय, यदि उनकी जानकारी में उनके क्षेत्राधिकार के अधीन कोई अर्न्तजातीय या अर्न्तधर्मीय विवाह होने की सूचना प्राप्त होती है।

(सी) जब किसी पुलिस अधिकारी अथवा प्रशासनिक अधिकारी को खाप पंचायत एकत्रित होने की सूचना प्राप्त हो तब वह तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारी को तथा क्षेत्राधिकार वाले पुलिस उपाधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को सूचित करें।

(डी) सूचना प्राप्त होने पर पुलिस उपाधीक्षक अथवा राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खाप पंचायत के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करेंगे और उन्हे यह अवगत करायेगें कि सभा करने की अनुमति नहीं है और उस मीटिंग को समाप्त करने का निर्देश देगें तथा क्षेत्राधिकारी वाले थानाध्यक्ष को सतर्क रहने और सभा को रोकने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात करनें का निर्देश देगें।

(ई) उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त भी यदि सभा की जाती है तब पुलिस उपाधीक्षक व्यक्तिगत रूप से सभा में मौजूद रहेंगे और सभा पर यह प्रभाव बनायेगे कि सभा द्वारा "युगल" (विवाहित युगल/प्रेमी युगल)/उनके पारिवारिक सदस्यों को कोई हानि नहीं पहुँचायी जाये ऐसे निर्देश का अनुपालन करनें पर असफल रहने पर सभा के आयोजक तथा सभा के सदस्य अपराधिक अभियोग के लिए उत्तरदायी होंगे तथा वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभा की तथा सभा में भाग लेने वाले सदस्यों की गतिविधियों की वीडियों रिकार्डिंग करायी जाये।

(एफ) यदि पुलिस उपाधीक्षक द्वारा खाप सदस्यों से वार्तालाप के उपरान्त यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न होने पर कि सभा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता अथवा सभा द्वारा कपुल या उनके परिवार के सदस्यों को क्षति पहॅचायी जा सकती है तो वह जिला मजिस्ट्रेट/उपजिला मजिस्ट्रेट अथवा क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी को धारा 144 दं0प्र0सं0 का आदेश जारी करनें का अनुरोध करेंगे तथा सभा में भाग लेने वाले व्यक्तियों की धारा 151 दं0प्र0सं0 के तहत गिरफ्तारी की कार्यवाही करायेंगें

(जी) गृह मंत्रालय भारत सरकार राज्यों के सहयोग से विधि प्रवर्तन कारी संस्थाओं को संवेदनशील बनाया जाये तथा इस प्रकार की हिंसा को रोकने के उपाय ढूढे जाये एवं सामाजिक न्याय तथा विधि के शासन के संवैधानिक लक्ष्य को कार्यान्वित कराया जाये।

cc

(एच) पक्षकारों के सहयोग से एक "institutional machinery" गठित हो जिसके द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों व केन्द्र के सहायोग से सामाजिक जनमत व जागरूकता लायी जाये एवं विधि प्रवर्तन कारी एजेंसियों के संवेदनशील बनाया जाये, जिससे इस प्रकार की हिंसा को निवारित की जा सकें।

<u>2- उपचारात्मक उपायः-</u>

(ए) निरोधात्मक उपायों के अतिरिक्त यदि स्थानीय पुलिस के संज्ञान में खाप पंचायत आयोजित होने तथा युगल उसके परिवार के सदस्यों जो अर्न्तजातीय व अर्न्तधर्मीय विवाह से संबंधित है के विरूद्ध यदि खाप पंचायत द्वारा कोई फरमान जारी किया जाता है तो भा0द0वि0 के सुसंगत उपबन्धों के अनुसार धारा 148, 143, 503, 506 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत कराये जायेंगे।

(बी) एफ0आई0आर0 पंजीकृत होने के पश्चात उसकी सूचना पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस उपाधीक्षक को दी जायें जो यह सुनिश्चित करेंगे कि अपराध का प्रभावी अन्वेषण कराया जाये।

(सी) इसके अतिरिक्त कपुल/पारिवारिक सदस्यों को सुरक्षा उपलब्ध करायी जाये तथा आवश्यकतानुसार उन्हें उसी जिले में उनकी सुरक्षा व भय को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षित स्थान पर रखा जाये।

(1) ऐसे युवा अविवाहित कपुल (जोड़े) जिनके सम्बन्धों को परिवार द्वारा अथवा स्थानीय खाप द्वारा विरोध किया जाता है।

(2) ऐसे युवक विवाहित (युवक/युवतियॉ) जो अर्न्तजातीय व अर्न्तधर्मीय विवाह से सम्बन्धित है उन्हें सुरक्षित रखने हेतु क्षेत्राधिकारी वाले मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक के निर्देश से सुरक्षित घरों में रखने की व्यवस्था की जाये।

(डी) जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा ऐसे युगल अथवा परिवार के सदस्यों को जीवन भय के सम्बन्ध में की गयी शिकायतों पर संवेदनशीलता बरती जाये। पहले यह सुनिश्चित किया जाये कि ऐसे अविवाहित युवक/युवतियॉ जो यदि व्यस्क हो तो उन्हे विवाह हेतु सहयोग प्रदान करते हुए विवाह पंजीकरण में सहयोग प्रदान किया जाये। विवाह के पश्चात यदि वे इच्छा व्यक्त करते है तो उन्हें न्यूनतम दर पर 01 माह के लिये सुरक्षित घर उपलब्ध कराया जाये, किन्तु यह 01 वर्ष से अधिक की अवधि से अधिक नहीं होगी जो उनके जीवन भय की समय सीमा पर आधारित होगी।

cc

(ई) ऐसे अविवाहित युवक/युवतियॉं अथवा युवा विवाहित जोडों अथवा स्वतंत्र श्रोत से शिकायत प्राप्त होने पर उसकी जॉच करायी जाय कि क्या उनके द्वारा या स्थानीय समुदाय या खाप द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है तब जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक अथवा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण की गंभीरता एवं जीवन भय की समस्या के सम्बन्ध में प्रारंभिक जॉच करायी जायेगी और जॉच रिपोर्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को 01 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत की जायेगी।

(एफ) जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सब डिवीजन के पुलिस उपाधीक्षक को एफ0आई0आर0 दर्ज करने तथा धारा 151 दं0प्र0सं0 के अतिरिक्त कार्यवाही का निर्देश देंगे तथा पुलिस उपाधीक्षक विवेचना का पर्यवेक्षण करेंगे एवं यह भी सुनिश्चित करेंगे कि नियत समय पर विवेचना पूर्ण की जा सके। विवेचना के दौरान ऐसे समस्त व्यक्तियों के विरूद्ध जो उनके विरोध में सभा में भाग लिये है, बिना अपवाद के कार्यवाही की जायेगी। खाप पंचायत सदस्यों की संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरूद्ध षडयंत्र और दुष्प्रेरण के अपराधिक अभियोग की कार्यवाही की जायेगी।

<u>3- दण्डात्मक उपाय:-</u>

(ए) कोई पुलिस अधिकारी या जिले का अधिकारी या कर्मचारी उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करनें में विफल रहता है, तो इसे जान-बूझ कर उदासीनता और या दुराचरण का कार्य माना जायेगा, जिसके लिए उनके विरूद्ध सेवा नियमावली के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(बी) उन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी, जिनके संबंध में यह पाया जाय कि जानकारी होने के बावजूद उन्होनें घटना नहीं रोकी या जहॉं पहले ही घटना घटित हो चुकी है वहॉं ऐसे अधिकारियों द्वारा शीघ्रता पूर्वक कार्यवाही नहीं की गयी और अभियुक्तों के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की गयी।

(सी) प्रत्येक जनपद में एक विशेष प्रकोष्ठ (Special Cell) का गठित किया जाता है, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अपर जिलाधिकारी सम्मिलित होगें, जो अन्तर्जातीय विवाह करनें वाले युगलों का उत्पीडन और धमकी दिये जाने की शिकायती पत्र प्राप्त करेंगे और उन पर तत्काल कार्यवाही करेंगे।

cc

(डी) विशेष प्रकोष्ठ द्वारा ऐसी शिकायतें प्राप्त करनें और दर्ज करनें तथा ऐसे युगलों को आवश्यक सहायता/सुझाव एवं सुरक्षा प्रादन करनें के लिए 24 घण्टे के लिए एक हेल्प लाइन नम्बर बनाया जायेगा।

(ई) ऑनर किलिंग अथवा कपुल (जोडों) के विरूद्ध हिंसा से सम्बन्धित मामलों का विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा किया जाये तथा दिन प्रतिदिन सुनवाई सुनिश्चित कराते हुए संज्ञान के 06 माह के अन्दर विचारण पूर्ण की जाये।

4- अनुरोध है कि रिट याचिका(सिविल) संख्या-231/2010 शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.03.2018 की प्रति इन्टरनेट से प्राप्त कर उसका अध्ययन का मा0 सर्वोच्च न्यायालय की भावना के अनुरूप उसका शतप्रतिशत अनुपालन किया जाय। कृपया उपरोक्त आदेशों के क्रम में की गयी कार्यवाही की अनुपालन आख्या अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक लोक शिकायत, कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के माध्यम से दिनांक 02.09.2019 तक उपलब्ध करायें और उसके पश्चात प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनुपालन आख्या अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, लोक शिकायत को उपलब्ध करायी जाय और अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक संकलित संक्षिप्त टिप्पणी शासन में प्रत्येक माह की 20 तारीख तक उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अपराध।
3. अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, लोक शिकायत, कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया वे मा0 उच्च न्यायालय में दिनांक 04.09.2019 तक प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के दृष्टिगत प्रत्येक जनपद से अनुपालन आख्या प्राप्त कर दिनांक 02.09.2019 तक शासन में उपलब्ध करायें और इसके पश्चात वे समस्त जनपदों से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनुपालन आख्या प्राप्त कर संकलित

cc

सूचना शासन को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक प्राप्त करायें और जिन जनपदों से निर्धारित तिथि तक सूचना प्राप्त नहीं होती है, उन जनपदों के संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायें।

4- अपर पुलिस महानिदेशक, डायल 100, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वे उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु प्रदेश के समस्त संबंधित अधिकारियों को यह निर्देश देने का कष्ट करें कि वे डायल-100 पर अन्तर्जातीय/अन्तर्धर्मीय/सजातीय विवाह के युगलों द्वारा उत्पीड़न किये जाने या आवश्यक सहायता एवं सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किये जाने पर तत्काल जिले के प्रभारी पुलिस अधिकारी को अवगत कराया जाय और वहॉ पर एक पीआरवी तत्काल भेजी जाय। ऐसी शिकायतें मिलने पर जिले के प्रभारी पुलिस अधिकारी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

5. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वे अपने नियंत्राणाधीन समस्त जनपदों की प्रत्येक माह समीक्षा करें और उपरोक्त निर्देशों के क्रम में समायान्तर्गत अनुपालन आख्या उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

6. समस्त मण्डलायुक्त उ0प्र0।

7. पुलिस अधीक्षक, ललितपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया वे किसी राजपत्रित अधिकारी को निर्देशित करते हुए नामित करें कि वे अधोहस्ताक्षरी का समायान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र तैयार कराकर मा0 उच्च न्यायालय में दिनांक 04.09.2019 के पूर्व दाखिल करें एवं सुनवाई की तिथि व समय पर मा0 उच्च न्यायालय में उपस्थित रह कर प्रभावी पैरवी करें।

8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भगवान स्वरूप)
सचिव।

cc

फैक्स/प्राथमिकता/कोर्टकेस

संख्या-1077 पी/छ-पु-3-2019-2(344)पी/2019

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,

उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 5 सितम्बर, 2019

विषयः-सिविल मिस रिट पिटीशन (रिट-सी) संख्या-24328/2019 सुमन अहिरवार व अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-08-2019 में उल्लिखित शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, 2018 (सात)एससीसी-192 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनदेश संख्या- 591रिट/छ-पु-3-2019-2(344)पी/2019,दिनांक 31.08.2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल मिस रिट पिटीशन (रिट-सी) संख्या-24328/2019 सुमन अहिरवार व अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य में दिनांक 11.09.2019 से पूर्व मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। अतः उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31.08.2019 के क्रम में गठित विशेष प्रकोष्ठ (Special Cell) से संबंधित आदेश की प्रति सहित अनुपालन आख्या अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, लोक शिकायत, कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश एवं शासन में हार्ड कापी व साफ्ट कापी (sopolice3@yahoo.com) में दिनांक 05.09.2019 को अपराह्न 03.00 बजे तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि डायल-100 पर अन्तरजातीय /अन्तरधर्मीय /सजातीय विवाह के युगलों का उत्पीड़न किये जाने पर या आवश्यक सहायता एवं सुरक्षा प्रदान किये जाने हेतु अनुरोध किये जाने पर तत्काल विशेष प्रकोष्ठ में सम्मिलित अधिकारियों को अवगत कराया जाय। यदि कहीं खाप पंचायत के आयोजन की सूचना डायल-100 पर प्राप्त होती है तो उससे भी जिले के प्रभारी पुलिस अधिकारी एवं प्रकोष्ठ में सम्मिलित अधिकारियों को तत्काल अवगत कराया जाये। जिले के प्रभारी पुलिस अधिकारी/प्रकोष्ठ के सदस्य इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर तत्काल उक्त शासनादेश दिनांक 31.08.2019 एवं पुलिस महानिदेशक कार्यालय के आदेश संख्या-डीजी-सात-एस-14(3)/2018, दिनांक 24.05.2019 एवं मा० उच्च

cc

न्यायालय/मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित निर्णयों का अनुपालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाये। डायल-100 के संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया जाये कि डायल-100 पर उक्त सूचना प्राप्त होने पर उसके बारे में तत्काल उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने में चूक होने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। कृपया आम जनमानस की जानकारी हेतु इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार भी कराने का कष्ट करें कि यदि किसी अन्तरजातीय या अन्तरधर्मीय विवाह करने वाले युगल को यदि कोई समस्या हो या सहायता की आवश्यकता हो तो वह तत्काल डालय-100 पर सूचना दे एवं यदि किसी व्यक्ति को अन्तरजातीय या अन्तरधर्मीय विवाह के संबंध में खाप पंचायत आयोजित होने की सूचना प्राप्त होती है तो वह भी तत्काल इसकी सूचना डायल-100 पर देना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- (1)पी/छ-पु-3-2019-2(344)पी/2019 व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था/अपराध, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, लोक शिकायत, कार्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वे उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए विशेष प्रकोष्ठ (Special Cell) गठित किये जाने के संबंध में सभी जनपदों से अनुपालन आख्या प्राप्त कर जनपदवार संकलित सूचना दिनांक 06.09.2019 को सायं 05.00 बजे तक sopolice3@yahoo.com पर अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि समय से मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दाखिल किये जाने हेतु प्रतिपशपथ पत्र तैयार कराया जा सके और उसे समय से दाखिल भी किया जा सके।
4- अपर पुलिस महानिदेशक, डायल 100, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वे डायल-100 के संबंध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अपने स्तर से भी निर्देश देते हुए इस संबंध में एक SOP तैयार कराते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 06.09.2019 को सायं 05.00 बजे तक sopolice3@yahoo.com पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, जोन, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भगवान स्वरूप)
सचिव।

cc

फैक्स/प्राथमिकता/कोर्टकेस

संख्या– 1059 P /छः-पु- 3-2019-2(344)पी/2019

प्रेषक ,

भगवान स्वरुप,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
इलाहाबाद/फतेहपुर।

गृह (पुलिस) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 26 अगस्त, 2019

विषयः- सिविल मिस रिट पिटीशन (रिट-सी) संख्या-24328/2019 सुमन अहिरवार व अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2019 के अनुपालन में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रतिदिन रिपोर्ट भेजे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि बालिग युवक-युवतियों द्वारा अन्तर्जातीय/अन्तर्धर्मीय/सजातीय विवाह किये जाने पर उन्हें सुरक्षा प्रदान किये जाने के संबंध में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में सिविल मिस रिट पिटीशन (रिट-सी) संख्या-24328/2019 सुमन अहिरवार व अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य विचाराधीन है। उक्त रिट याचिका में दिनांक 21.08.2019 को मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैः-

"On 19.08.2019, the Secretary (Home), State of U.P. had filed an affidavit stating that Govt. Orders had been issued on various dates i.e. 07.08.2003, 07.07.2010, 30.01.2011, 07.08.2013 and 16.08.2019 in compliance of the various decisions of the Supreme Court.

From the flood of litigation, which is reaching this Court whereby young couples are coming for protection, it does not appear that any help has been rendered to them at the District level.

The affidavit does not disclose if any independent Toll Free Number has been provided for helping such couples. The affidavit also does not disclose as to how the directions of the judgement reported in 2018(7)SCC 192, Shakti Vahini vs. Union of India (UOI) and others has been followed.

Today, learned Standing Counsel has handed over a communication which indicates that on 24.05.2018 an effort was made to comply with the judgement and order of the Supreme Court passed in Shakti Vahini's case. However, if the order was issued on 24.5.2018 then it does not stand to reason that why remedial steps had not been taken till today.

cc

Put up this case on 04.09.2019 as unlisted.

On that date, the learned Standing Counsel may file an affidavit bringing on record the various steps which might have been taken by the State. He may bring on record in particular the steps which the State has taken in the Districts of Allahabad and Fatehpur. In the next two weeks in these two Districts steps may be taken which the State proposes to take for all the Districts of Uttar Pradesh.

The Secretary (Home), State of U.P. shall, through a responsible officer, send a daily report of the developments which would take in these two Districts to the Registrar General, Allahabad High Court, Allahabad."

2. मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा निर्णीत शक्ति वाहिनी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य (2018) 7 एससीसी 192 में आनर किलिंग के संबंध में पारित दिशा-निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 24.05.2019 द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं। मा० उच्च न्यायालय द्वारा सिविल मिस रिट पिटीशन (रिट-सी) संख्या-24328/2019 सुमन अहिरवार व अन्य बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.08.2019 एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 24.05.2018 की प्रति दिनांक 23.08.2019 को आपके सरकारी ह्वाट्सअप नम्बर पर भेजते हुए यह अपेक्षा की गयी थी, कि मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में आख्या रजिस्ट्रार जनरल, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रतिदिन भेजी जाए।

3. इस संबंध में आपको मा० उच्च न्यायालय में दैनिक प्रगति से अवगत कराने हेतु नामित करते हुए अनुरोध है कि कृपया मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 24.05.2019 के क्रम में कार्यवाही करते हुए सिविल मिस रिट पिटीशन (रिट-सी) संख्या-24328/ 2019 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2019 के अनुपालन में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रतिदिन आख्या प्रेषित करते हुए इसकी एक प्रति शासन को ई-मेल (sopolice3@yahoo.com) के माध्यम से 12.00 बजे तक अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा अब तक मा० उच्च न्यायालय में भेजी गयी आख्याओं की एक-एक प्रति उपरोक्त ई-मेल पर आज ही उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

26/8/19

(भगवान स्वरुप)

सचिव।

cc